



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275525
CG-DL-E-17082026-275525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4376]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 4376]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4556(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए बहु धुरीय हाइड्रोलिक ट्रेलर के द्वारा बीएचईएल, हरिद्वार से अडानी पावर लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़ तक संचलन के लिए एक जनरेटर स्टेटर जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मैसर्स रेशमासिंह प्रा. लि, उपरोक्त परिवहन के लिए एक जनरेटर स्टेटर के संचलन हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1.	एमएच-46-बीबी-3192	वॉल्वो
2.	एमएच-46-बीएफ-1049	वॉल्वो

3.	एमएच-46-बीएम-6939	वॉल्वो
4.	एमएच-46-बीएफ6951	वॉल्वो
5.	एमएच-46-एएफ-1514	वॉल्वो
6.	एमएच-46-एच-4364	वॉल्वो

3. उपरोक्त संचलन में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
1.	एमएच-06-9148	गोल्डहोफर	6	108
2.	एमएच-06-9149	गोल्डहोफर	4	72
3.	एमएच-06-9150	गोल्डहोफर	6	108
4.	एमसीवाई-1719	गोल्डहोफर	4	72
5.	एमसीवाई-1720	गोल्डहोफर	4	72
6.	एमएच-43यू-6340	गोल्डहोफर	4	72
7.	एमएच-43यू-6341	गोल्डहोफर	8	144
8.	एमएच-43यू-6342	गोल्डहोफर	8	144
9.	एमएच-46-एआर-1830	गोल्डहोफर	4	72
10.	एमएच-46-एआर-1831	गोल्डहोफर	4	72
11.	एमएच-46-एआर-1832	गोल्डहोफर	8	144
12.	एमएच-46-एआर-1833	गोल्डहोफर	4	72
13.	एमएच-46एच-5554	गोल्डहोफर	6	108
14.	एचआर-55-एएम-2260	गोल्डहोफर	6	108
15.	एचआर-55-एएन-466	गोल्डहोफर	4	72
16.	एचआर-55-एपी-7754	गोल्डहोफर	4	72
17.	एचआर-55-एपी-8488	गोल्डहोफर	4	72
18.	एचआर-55-एआर-0813	गोल्डहोफर	4	72
19.	एचआर-55-एआर-7520	गोल्डहोफर	4	72
20.	एचआर-55-एआर-4236	गोल्डहोफर	4	72
21.	जीजे-12-एटी-9249	गोल्डहोफर	4	72
22.	जीजे-12-एटी-9250	गोल्डहोफर	4	72
23.	जीजे-12-एटी-9251	गोल्डहोफर	6	108
24.	एचआर-55एम-7299	गोल्डहोफर	4	72
25.	एचआर-55एम-7282	गोल्डहोफर	4	72
26.	एचआर-55एम-7283	गोल्डहोफर	4	72
27.	एचआर-55एम-7297	गोल्डहोफर	4	72
28.	एचआर-55एम-7298	गोल्डहोफर	4	72
29.	एमएच-06-एक्यू- 3568	गोल्डहोफर	4	72

30.	एमएच-06-एक्यू- 3569	गोल्डहोफर	3	54
31.	एमएच-06-एक्यू- 3570	गोल्डहोफर	3	54
32.	एमएच-43-यू-4678	गोल्डहोफर	6	108
33.	एमएच-46-एच-6297	गोल्डहोफर	6	108
34.	एमएच-46-एआर-5401	गोल्डहोफर	6	108
	एचआर-55-एजी-0730	गोल्डहोफर	4	72

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मात्रा	प्रेषित माल का नाम	टन में बिना भार वाली धुरियों का भार मीट्रिक टन (एमटी) में	प्रेषित माल का भार मीट्रिक टन (एमटी)	वाहन का लदान भार (एमटी)	प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)	वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)	प्रेषित माल का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
			लं. (मी.)					चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)		
i	1	जनरेटर स्टेटर	112 + 110 (गर्डर पुल) = 222 एटी	466.26 एटी	688.26 एमटी	21.50 एमटी	6.125	10.880	5.104	4.950	16 और 16 धुरीय गर्डर पुल संयोजन के साथ 16 धुरी +गर्डर पुल + 16 धुरी इन लाइन (8 टायर प्रति धुरी पंक्ति)
			84 एमटी	466.26 एटी	550.26 एटी	22.92	5.435	10.880	5.104	4.950	16(1½) धुरी संयोजन

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है कि:-

- मैसर्स बीएचईएल, हरिद्वार से अडानी पावर लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़ तक एक जनरेटर स्टेटर के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग, का सड़क मार्ग से इस प्रकार होगा
बीएचईएल हरिद्वार-मेरठ-डासना-पलवल-मथुरा-कीथम-धोलपुर-ग्वालियर-शिवपुरी-झाँसी-ललितपुर-सागर-नरसिंहपुर-लखनादौन-नागपुर-भंडारा-सकोली-भिलाई-सिल्लारा-नक्ती खापरी-रायखेड़ा-रायपुर के माध्यम से सड़क द्वारा होगा।
- लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स रेशमासिंह प्रा. लि द्वारा वहन की जाएगी।

- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात में पंजीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (xvi) माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- (xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।

(xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जिससे माल की आवाजाही में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न हो या अनुमति आरयूबी / एफओबी / ओवरपास को छोड़कर होगी जिसके लिए आवेदक ओडीसी / ओडब्ल्यूसी की आवाजाही के डायवर्जन करेगा।

(xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/05/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4556(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Generator Stator from BHEL, Haridwar to Adani Power Ltd, Raipur, Chhattisgarh on multi axle Hydraulic Trailers by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Reshamsingh Pvt. Ltd is the transporter of Bharat Heavy Electricals Limited for transportation of one Generator Stator for the aforesaid movements.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	MH-46-BB-3192	VOLVO
2.	MH-46-BF-1049	VOLVO
3.	MH-46-BM-6939	VOLVO
4.	MH-46-BF6951	VOLVO
5.	MH-46-AF-1514	VOLVO
6.	MH-46-H-4364	VOLVO

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
2.	MH-06-9148	Gold Hofer	6	108
3.	MH-06-9149	Gold Hofer	4	72
4.	MH-06-9150	Gold Hofer	6	108

5.	MCY-1719	Gold Hofer	4	72
6.	MCY-1720	Gold Hofer	4	72
7.	MH-43U-6340	Gold Hofer	4	72
8.	MH-43U-6341	Gold Hofer	8	144
9.	MH-43U-6342	Gold Hofer	8	144
10.	MH-46-AR-1830	Gold Hofer	4	72
11.	MH-46-AR-1831	Gold Hofer	4	72
12.	MH-46-AR-1832	Gold Hofer	8	144
13.	MH-46-AR-1833	Gold Hofer	4	72
14.	MH-46H-5554	Gold Hofer	6	108
15.	HR-55-AM-2260	Gold Hofer	6	108
16.	HR-55-AN-466	Gold Hofer	4	72
17.	HR-55-AP-7754	Gold Hofer	4	72
18.	HR-55-AP-8488	Gold Hofer	4	72
19.	HR-55-AR-0813	Gold Hofer	4	72
20.	HR-55-AR-7520	Gold Hofer	4	72
21.	HR-55-AR-4236	Gold Hofer	4	72
22.	GJ-12-AT-9249	Gold Hofer	4	72
23.	GJ-12-AT-9250	Gold Hofer	4	72
24.	GJ-12-AT-9251	Gold Hofer	6	108
25.	HR-55M-7299	Gold Hofer	4	72
26.	HR-55M-7282	Gold Hofer	4	72
27.	HR-55M-7283	Gold Hofer	4	72
28.	HR-55M-7297	Gold Hofer	4	72
29.	HR-55M-7298	Gold Hofer	4	72
30.	MH-06-AQ-3568	Gold Hofer	4	72
31.	MH-06-AQ-3569	Gold Hofer	3	54
32.	MH-06-AQ-3570	Gold Hofer	3	54
33.	MH-43-U-4678	Gold Hofer	6	108
34.	MH-46-H-6297	Gold Hofer	6	108

35.	MH-46-AR-5401	Gold Hofer	6	108
	HR-55-AG-0730	Gold Hofer	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i	1	Generator Stator	112 + 110 (Girder bridge) = 222MT	466.26MT	688.26MT	21.50MT	6.125	10.880	5.104	4.950	16 and 16 axles with Girder Bridge combination 16Axles+Girder Bridge+ 16 Axles in line (8tyres per axle row)
			84 MT	466.26MT	550.26MT	22.92	5.435	10.880	5.104	4.950	16(1½) axle combination

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of one Generator Stator from M/s BHEL, Haridwar to Adani Power Ltd, Raipur, Chhattisgarh by road through-BHEL Haridwar-Meerut-Dasna-Palwal-Mathura-Keetham-Dholpur-Gwalior-Shivpuri-Jhansi-Lalitpur-Sagar-Narsingpur-Lakhnadon- Nagpur- Bhandara- Sakoli- Bhilai- Siltara-Nakti Khapri- Raikheda- Raipur.
- Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Reshamsingh & Co. Pvt. Ltd.
- The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.
- The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra, Karnataka, Haryana and Gujarat.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.
- xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.
- xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs, RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the transporter shall make diversions for movement of ODC/OWC.
- xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/05/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.